



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग



फोन नं०- 05964-244117 फैक्स नं०-05964-244622 ई-मेल-eeppwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 970 / 27सी
सेवा में,

दिनांक 08 / 07 / 2022

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत पच्चाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.94 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :-भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी० / 06/91/2020/एफ०सी०/504 दि 05.08.2021(प्रति संलग्न)
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 11.88 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम कुनतोला खसरा संख्या 1144, 1145, 1149, 1196, 1215, 1218, 1268 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	मान्य है। शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 1852/ 7-57/2021-22 दिनांक 30.06.2022 द्वारा 11.88 हे० राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि बाउचर संख्या 01 दिनांक 10.02.2022(आई0डी0W03801422902221000 date 10-02-2022) द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाउचर की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pr- 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.385 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि बाउचर संख्या 48 दिनांक 27.01.2022 (आई0डी0W03801422901221000 date 25-01-2022) द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाउचर की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 125 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
8	गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमित साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
14	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन	मान्य है।

	विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	
16	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य है।
23	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेगा राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	मान्य है।

भवदीय

/


(इं० पी०सी०पन्ती)

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।
08/07/2022

अस्थायी
दिनांक

पत्रांक 970 / 27सी
प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
2- अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।

/


अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।
08/07/22



आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/91/2020/एफ.सी./504 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पच्चाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 5.940 है० वन भूमि के बदले दोगुनी 11.880 है० राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पच्चाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 5.940 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुनतोला पट्टी चौडियार तहसील गंगोलीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-86 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 3822 रकवा 0.632 है०, 3823 रकवा 1.938 है०, 3859 रकवा 1.128 है०, 3860 रकवा 0.512 है०, 3861 रकवा 0.492 है०, 3862 रकवा 0.595 है०, 3864 रकवा 0.190 है०, 6059 रकवा 1.773 है०, 6060 रकवा 3.259 है०, 6061 रकवा 1.192 है०, 6063 मध्ये रकवा 0.169 है० कुल 11 खेतों की 11.880 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गंगोलीहाट स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जून, 29, 2022

8/C

(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

8/6/22

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 1852/सात-54 /2021-22

दिनांक जून 30, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गंगोलीहाट को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़।

प्रमाणित
संख्या 57
वर्ष 2021-22
दिनांक 01
पृष्ठ संख्या 6972
दिनांक 30/06/22

(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

8/6/22

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में
पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु चयनित: सी0ए0 क्षेत्र ग्राम
कुनतोला, पट्टी चौड़ियार तहसील गंगोलीहाट में पूर्व में किसी अन्य परियोजना के तहत
वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग


व.स.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पच्चाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 5.94 हे० वन भूमि वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुनतोला, पट्टी चौड़ियार तहसील गंगोलीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं०-86 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत नं० 3822 रकवा 0.632 हे०, 3823 रकवा 1.938 हे०, 3859 रकवा 1.128 हे०, 3860 रकवा 0.512 हे०, 3861 रकवा 0.492 हे०, 3862 रकवा 0.595 हे०, 3864 रकवा 0.190 हे०, 6059 रकवा 1.773 हे०, 6060 रकवा 3.259 हे०, 6061 रकवा 1.192 हे०, 6063 मध्ये रकवा 0.169 हे० कुल 11 खेतों की 11.88 हे० सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1852/सात-57/2021-22 दिनांक 30.06.2022 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं० 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग


प.प.

Bill Type : Normal

Date - 9-2-2022

Section ID - WO3801422902221000

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १
(देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

पद का नाम : पिथौरागढ़
नगर का नाम : बेरीनाग
की अवधि कब से कब तक
कोड

1 0 3

3 8 0 1

2 2

0

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण
मुख्य लेखाशीर्षक - (5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखाशीर्षक - (04) District and other Roads
तृतीय शीर्षक - (337) सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक - (03) राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक - (04) एन0पी0वी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

वाउचर दिनांक

नगर/उपकोषागार का कोड
पद पंजी की क्रम संख्या
वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

मतदेय

5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4

मतदेय/भारित
लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंकों का कोड (4
लेखाशीर्षक +
उपमुख्य शीर्षक + 3 तृतीय शीर्षक + 2
उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक का निर्माण विवरण)

अधिशाली अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

4 2 2 9

आहरण वितरण अधिकारी का कोड
अधिष्ठान का नाम
अनुदान संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य
अनुदान संख्या

अधिशाली अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

14- सोर्स कोड : 1 15- सेक्टर कोड : 2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवृत्ति कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
1-भूमि क्रय	24242297	19793104	4449193

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	83,08,896
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	83,08,896

FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	83,08,896

नियंत्रित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की पूर्ति और औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमवार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
अधिशाली अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग
अधिष्ठान का नाम : पिथौरागढ़
अनुदान संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य
अनुदान संख्या

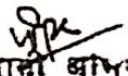
नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल कागज़ पर साइन्ड कटौतियों के प्रकरण में ही लागू होगा) विभाग (पदार्पण एवं कागज़ीकरण के लिए)

Eight Thousand Eight Hundred Ninety Six Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

श.स.स. - 4

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP3801422902221001 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896137053342	8308896	0	0	8308896
				8308896	0	0	8308896


भाषाशास्त्री अभिराम
बसन्तपुर, लोक निर्माण विभाग
पुणे/मुंबई (पिथौरागढ़)

Head of Account Pamadhav Maini Jageshwar m/o
 FORM No. - 28 HAND RECEIPT
 (See Chap XIV, para 440, 446 and 460)
 Paid for Rs - 83,08,896/-

Cash-book Voucher No. 61 dated 15/12/2020
 (1) Paid by Cheque/Cash Rupees (8308896/-) to C.A.M.P.A.
 (2) Paid by me

RECEIVED from the E.E. Ty. Div. in charge of P.W.D. Benne
 Sub-Division A.E. Division the sum of the
 Rs. (... Eighty three lakh eight thousand eight hundred ...)
 Name of work or purpose for which is made C.A.B. N.P.V.
Amount under Letter No. - 113/25 (N.P.V.)
उपरा 7/2021-22 (Amount in Vernacular) दि 02-12-2021
 Date अनुदान संख्या - 22 लेखायांक - 505404337030454

Witness 380142290224
9-2-2021 Rs - 83,08,896/- Signature of Payees
Rs for Rs - 83,08,896/-

E.E.

अधिकाारी अभियन्ता
कस्थार्थ चण्ड, लो. ति. वि.
बेरीनाथ (पिबोचण्ड)

--	--	--	--	--

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
 पत्रांक 179

- प्रतिलिपि - 1- सम्बन्धित ठेकेदार
 2- देयक हेतु
 3- उपकायाधिकारी बेरीनाथ।